मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

त्रयोदश प्रतिवेदन

(फरवरी-मार्च, 2003 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नामः-**	
	(1) जल संसाधन	1
	(2) नर्मदा घाटी विकास	3
	(3) वन	4
	(4) परिवहन	5
	(5) राजस्व	6
	(6) ग्रामोद्योग	15
	(7) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	16
	(8) महिला एवं बाल विकास	17
	(9) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	18
	(10) पर्यटन	22
	(11) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	23
	(12) नगरीय प्रशासन एवं विकास	24
	(13) लोक निर्माण	28
	(14) गृह(पुलिस)	30
	(15) सहकारिता	32
	(16) आवास एवं पर्यावरण	33
	(17) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	34
	(18) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	38
	(19) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	39
	(20) आयुष	42
	(21) चिकित्सा शिक्षा	44
	(22) स्कूल शिक्षा	45
	(23) ऊर्जा	47
	(24) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	48
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	50
	(ii) परिशिष्ट - 2 (अनिर्णीत प्रकरण)	51
	(iii) परिशिष्ट - 3 (फरवरी-मार्च, 2003 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची	52

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का त्रयोदश प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में फरवरी-मार्च, 2003 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 562 आश्वासन, जिनमें से **आश्वासन क्रमांक 120 एवं 122** का विषय एवं स्वरूप एक समान होने के कारण इन आश्वासनों को एकजाई किये जाने के फलस्वरूप कुल 561 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 01 आश्वासन को विलोपित किया जाकर 485 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में परिशिष्ट - **3** की विवरण सूची के अनुसार किया गया है । इस प्रकार शेष 75 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस त्रयोदश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया ।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 13 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । ***समिति ने परीक्षण के दौरान यह पाया कि विभागीय जांच/आर्थिक अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचरण से संबंधित आश्वासनों पर कतिपय विभागों द्वारा या तो प्रारंभिक जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराई गई एवं यदि उपलब्ध करा भी दी गई है तो समिति की ओर से बारम्बार पत्राचार किये जाने के बावजूद चाही गई अतिरिक्त/अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं । निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है ।*** संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया ।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाकः- 17 मार्च, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	जल संसाधन	05, 17, 21, 23
2.	नर्मदा घाटी विकास	13
3.	वन	38, 53
4.	परिवहन	68, 69
5.	राजस्व	71, 72, 76, 77, 83, 84, 88, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 106
6.	ग्रामोद्योग	115
7.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	(120+122)
8.	महिला एवं बाल विकास	128
9.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	138, 143, 155, 159, 166
10.	पर्यटन	157
11.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	191, 201
12.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	221, 222, 231, 234, 241, 242, 243, 248, 249, 250, 252, 259, 260, 268
13.	लोक निर्माण	287, 303
14.	गृह(पुलिस)	338
15.	सहकारिता	352
16.	आवास एवं पर्यावरण	365
17.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	381, 390, 396, 398, 400, 401, 402,
18.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	423
19.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	424, 429, 430
20.	आयुष	435, 443, 444
21.	चिकित्सा शिक्षा	441
22.	स्कूल शिक्षा	467, 468, 477, 501
23.	ऊर्जा	537
24.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	559

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	05	ता.प्र.सं.07 (क्र.2024) दि. 19.02.2003	बालाघाट जिले के ग्राम सावर बटुआ में सावरझोड़ी तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	1. जो आशंका व्यक्त की है और जो अपेक्षा की है उसमें हम शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2. **आसंदी से दिये गये निर्देश कि:-** जून तक उसका सर्वे कार्य कराकर 2004 तक उस तालाब को बनवा दें। 3. हम उनकी(मा.सदस्य) अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।	सर्वे कार्य उपरांत परियोजना के डूब क्षेत्र में 100% वन भूमि (109हे.) डूब में आने से परियोजना वित्तीय मापदण्डों पर साध्य नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 21/99/2003/लघु/31/795, दिनांक 11.08.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	17	परि.अता.प्र.सं.10 (क्र.1750) दि. 05.03.2003	छतरपुर जिले के गोराफीडर परियोजना के तहत भूमि डूब में आने के कारण ग्रामवासियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।	अवार्ड पारित होने के पश्चात राशि वितरित की जावेगी।	जल संसाधन संभाग नौगांव अंतर्गत गोराफीडर के निर्माण से डूब एवं फीडर चैनल में आने वाले 103 कृषकों की 51.908 हे. का अवार्ड कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 26.10.2005 को रू. 62,06,894.00 (बासठ लाख छः हजार आठ सौ चौरानवें) का पारित किया गया। भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर द्वारा अभी तक 71 कृषकों को रकवा 37.134 हे. भूमि का मुआवजा रू. 45,25,454.00 (पैतालीस लाख पच्चीस हजार चार सौ चौवन) का भुगतान किया जा चुका हैं। शेष 32 कृषकों रकवा 14.774 हे. राशि रू. 1681440.00 (सोलह लाख इक्यासी हजार चार सौ चालीस) का भुगतान होना शेष हैं। राशि भुगतान नहीं होने का मुख्य कारण कृषकों के उपस्थित नहीं होने एवं राजस्व अभिलेख में सुधार न होना है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 27-34/2003/सा/31, दिनांक 22.07.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	21	ता.प्र.सं.41 (क्र.4686) दि. 12.03.2003	डिण्डोरी जिले में नुनखान स्टॉपडेम के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	शेष कार्य की स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।	तुनखान स्टॉपडेम की प्रशासकीय स्वीकृति रू. 20.00 लाख की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 26.09.1995 को प्रदान की गई। कलेक्टर सेक्टर के अंतर्गत स्टॉप डेम का निर्माण वर्ष 1995-96 में उपरोक्त राशि खर्च कर जल संसाधन विभाग द्वारा डिपॉजिट मद में कराया गया। तत्समय विभाग को प्राप्त राशि से 80 प्रतिशत कार्य किया जा सका। शेष कार्य हेतु कलेक्टर डिण्डोरी के पत्र दिनांक 17.12.2014 द्वारा रू. 18.44 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति/आवंटन हेतु संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति/आवंटन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21/93/03/लघ/31(915), दिनांक 07.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	23	अता.प्र.सं.46 (क्र.4859) दि. 12.03.2003	ग्राम बिसौनी तहसील लांजी जिला बालाघाट के सिंचाई तालाब में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्रवाई।	सीमांकन व अतिक्रमण का स्थान सुनिश्चित होने पर यथाशीघ्र कार्रवाई करना संभव होगा।	जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के अंतर्गत लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी के लगभग 67 एकड़ रकबे में बिसौनी लघु तालाब निर्मित हैं। इस जलाशय के सीमांकन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार लांजी द्वारा कराया गया एवं अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग लांजी को निर्देशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/91/2004/एस/31, दिनांक 16.08.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	13	अनुदान की मांगों पर चर्चा दि. 03.03.2003	(1) गोपालपुर परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण किया जाना।	(1) इसकी एजेन्सी मार्च के अंत तक हम फिक्स करने जा रहे हैं ताकि गोपालपुर परियोजना समय पर पूर्ण हो सके।	(1) गोपालपुर परियोजना को निजी क्षेत्र के माध्यम से पूर्ण करने के साथ ही भेड़ाघाट की सुंदरता कायम रखने संबंधी अध्ययन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये, इस परियोजना के कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि उक्त परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र ही किया जावेगा। प्राधिकरण द्वारा चिन्हित गोपालपुर परियोजना का प्रारंभिक प्रतिवेदन सलाहकार से प्राप्त हो गया है। उक्त प्रारंभिक प्रतिवेदन पर प्राधिकरण स्तर पर अनुमोदन के उपरांत निर्माण एजेंसी के निर्धारण हेतु सलाहकार सेवाएं प्राप्त की जावेंगी। तदोपरांत ही निर्माण एजेंसी की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी।	कोई टिप्पणी नहीं।
			(2) बरगी डायवर्सन परियोजना का कार्य पूर्ण करने की अवधि।	(2) 63 से 104 कि.मी. तक की एजेंसी दिसम्बर 2003 के पूर्व फिक्स करने के लिए कटिबद्ध हैं।	(2) 63 से 104 कि.मी. तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा नहर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया गया है। वर्तमान में एजेंसियों द्वारा शेष कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई प्रगति पर है।	
			(3) बरगी डायवर्सन परियोजना का कार्य पूर्ण की अवधि।	(3) इस परियोजना को हम अगले 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।	(3) बरगी व्यपवर्तन परियोजना का निर्माण कार्य 5 चरणों में पूर्ण किया जाना है, जिसकी समयावधि 2014 तक थी, जिसे पुनरीक्षित कर योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा मार्च 2017 किया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की एजेंसियां निर्धारित की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। चतुर्थ एवं पंचम् चरण हेतु आंशिक रूप से एजेंसियां निर्धारित की गई है एवं शेष के लिये निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3639/आर-1923/2009/27-1, दिनांक 30.09.2013**	

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	38	परि.अता.प्र.सं.23 (क्र.1871) दि. 26.02.2003	शिवपुरी जिले में स्थापित करैरा अभ्यारण्य को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को पुन: भारत सरकार को भेजा जाना।	प्रकरण मंत्री-परिषद के समक्ष पुन: रखा जावेगा।	दिनांक 09.06.2008 को राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अभ्यारण्य को डिनोटिफाईड करने की अनुशंसा की गयी है। आगामी कार्रवाई भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 22-62/2003/10-2, दिनांक 15.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	53	ता.प्र.सं.10 (क्र.5101) दि. 12.03.2003	वन मंडलाधिकारी खरगोन द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं उनके खिलाफ कार्रवाई।	गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।	तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी खरगोन श्री ए.एस. डबास के विरूद्ध आदेश क्रमांक एफ-09/4/2000/10-4, दिनांक 16.09.2004 द्वारा विभागीय जांच की गई जिसमें जांचकर्ता अधिकारी ने श्री डबास पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाए। जिनका पूर्ण परीक्षणोपरांत प्रकरण में आदेश दिनांक 29.11.2006 द्वारा श्री डबास भा.व.से. तत्कालीन व.मं.अ. खरगोन (सामान्य) के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 16-2/2003/10-4, दिनांक 20.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
8.	68	अता.प्र.सं.92 (क्र.3040) दि. 19.02.2003	दतिया जिले में स्थापित बेरियर सिकंदरा के आकस्मिक निरीक्षण में आरक्षक श्री के.एन. पाराशर से अवैध वसूली की जप्त राशि एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	प्रकरण थाना दिनारा द्वारा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचना की जा रही है।	आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई राशियों का सत्यापन लेखा अधिकारियों द्वारा किया गया। अभिलेख से सत्यापन में यह राशि मोटरयान कर तथा शमन शुल्क की राशि से मिलान करने पर वैधानिक रूप से किये गए राजस्व संग्रहण की राशि होना पाया गया, अत: यह राशि पुलिस अभिरक्षा से वापस प्राप्त कर विभागीय मद में चालान द्वारा जमा की गई। प्रकरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2626/3654/2011/आठ, दिनांक 16.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	69	ता.प्र.सं.03 (क्र.3271) दि. 05.03.2003	डबरा में सीखनी करैया, मस्तूरा हेतु प्राईवेट बसों को चलाने हेतु परमिट दिया जाना।	ऐसी सड़कें जहां पर यात्रियों को परेशानी है और मान. सदस्य वहां बसें चलाना औचित्य पूर्ण समझते हैं तो वहां के लिये प्राइवेट बसें चलाने का हम परमिट दे देंगे।	मार्ग डबरा से साखनी, मस्तूरा मार्ग पर 04 बसों को स्थाई परमिट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से जारी है, इस प्रकार उक्त मार्ग पर बसें संचालित हैं। ग्राम करैरा हेतु ग्वालियर बनवार, चिनौर होकर 04 बसों को स्थाई परमिट तथा 01 बस को अस्थाई परमिट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से जारी है, इस प्रकार उक्त मार्ग पर बसें संचालित हैं। दिये गये आश्वासनानुसार उल्लेखित मार्ग पर परमिट जारी किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2083/3696/11/आठ, दिनांक 11.06.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	71	अता.प्र.सं.17 (क्र.341) दि. 11.02.2003	जिला रायसेन के शासकीय नाले की भूमि को श्री राघवेन्द्र सिंह के नाम दर्ज करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।	जांच कराई गई। निष्कर्ष प्राप्त हुए कि न्यायालय नायब तहसीलदार के राजस्व प्रकरण क्रं.-1/7-53/88-89 में पारित आदेश दिनांक 26.08.1989 द्वारा उक्त विवादित भूमि खा.क्र. 512 क्षेत्रफल 0.38 एकड़ तत्कालीन पंचायत के अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जांच कर श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश नारायण के पक्ष में आवंटित की गई थी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/184/2011/सात/2ए, दिनांक 23.02.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	72	ता.प्र.सं.01 (क्र.1204) दि. 19.02.2003	(1) पथरिया विधानसभा क्षेत्र के बेलापुरवा में एक ही परिवार के पिता-पुत्रों को पट्टा दिए जाने की जांच तथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। (2) पाला, तुषार, ओले पड़ने से किसानों को राहत राशि दी जाना तथा बैंक से लोन पर ब्याज की राशि माफ की जाना।	(1) अगर नीति के खिलाफ दिया गया होगा तो ऐसे लोगों का पट्टा निरस्त किया जा सकता है और उस शासकीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी इसकी जांच 15 दिन के अंदर करवा लेंगे। (2) 20 रोज में बटवा देंगे। (3) इस संबंध में सरकार विचार कर लेगी।	दमोह जिले के पथरिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेलापुरवा में बाप, बेटे को पट्टा वितरण नियमानुसार किया गया है, इसमें शासकीय अधिकारी दोषी नहीं होने से कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। ग्राम बेला एवं बेलापुरवा दो पृथक-पृथक आबाद ग्राम होकर ग्राम पंचायत बेलापुरवा के अंतर्गत आते है। रामलाल पिता पल्टू चढ़ार एवं गोरेलाल पिता रामलाल निवासी बेलापुरवा जो भूमिहीन वर्ग 01 की श्रेणी में आने तथा दोनों के परिवार पृथक-पृथक निवासरत होने से व भूमि की पात्रता रखने से ग्राम पंचायत की व ग्राम वासियों की सहमति से शासन के नियमानुसार उक्त दोनों को पट्टा वितरण किया गया है। (2) जिला दमोह में माह फरवरी, 2003 में किसानों की खड़ी, फसल पाला पड़ने से नष्ट हो गई। खेत-खेत सर्वे कराकर ओला/पाला पड़ने से प्रभावित कृषकों को राहत राशि का वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-44/2003/सात/2ए, दिनांक 26.02.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	76	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.674) दि. 19.02.2003	शीघ्र लेखक संवर्ग के दो पदोन्नतियां देने के संबंध में भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना।	भर्ती नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट-1 के अनुसार
13.	77	अता.प्र.सं.07 (क्र.892) दि. 19.02.2003	जिला श्योपुर के कस्बे में सर्वे क्रमांक 795/1 एवं 795/2 में अंकित भूमि बगैर अनुमति निर्माण कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई।	वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।	सभी भूमि स्वामियों द्वारा विधिवत नजूल अधिकारी की अनापत्ति पश्चात निर्माण कार्य किये जाने से अब कार्रवाई नहीं होना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-5/03/सात-नजूल, दिनांक 24.01.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
14.	83	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.1553) दि. 26.02.2003	कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के पटवारी हल्का नं.109 खमतरा की भूमि खसरा नं. 645 में अवैध कब्जा हटाया जाना।	विधि अनुसार कार्रवाई की जायेगी।	कटनी जिले की तह. ढीमरखेड़ा के ग्राम खमतरा पटवारी हल्का नं. 109 की भूमि ख.नं. 645 पर कब्जेदार संबंधित 9 व्यक्तियों के विरूद्ध नायब तह.ढीमरखेड़ा से जांच प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) के तहत अनु.वि.अधि. ढीमरखेडा के न्यायालय में पंजीबद्ध कर प्र.क्र. 2/अ-23/2002-03 में पक्षकार सोनेलाल अन्य 3 के विरूद्ध भगवानदास सोनी अन्य 8 व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसी कार्रवाई के दौरान भगवान दास सोनी एवं अन्य 8 अनावेदकगणों द्वारा सिविलवाद भी संस्थित किया गया। मान. प्रथम न्याया.वर्ग-2 कटनी द्वारा व्यव.वाद क्र. 03/ए/02 में सुनवाई उपरांत दिनांक 11.11.02 को आदेश पारित किया गया तदनुसार वादग्रस्त भूमि पर म.प्र. भू.रा.सं. 1959 की धारा 170 (ख) लागू नहीं होते नियमानुसार 165(6) के प्रावधान लागू होते है। पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से स्वत्व का हस्तांतरण अनावेदक ने नहीं कराया। व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित वादग्रस्त भूमि पर म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 170 (ख) प्रावधान लागू न होने से न्यायालय द्वारा संस्थित प्रकरण 02/अ-02-03 आदेश दिनांक 29.02.04 को नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1709/3069/2003/सात/2ए, दिनांक 24.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	84	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.2824) दि. 26.02.2003	कोतमा जिला शहडोल के पटवारी हल्का नं. 877/5 की भूमि स्वामी जीवनलाल भारिया (आदिवासी) को दिलाये जाने की कार्रवाई।	न्यायालय के निर्णय अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जावेगी।	न्यायालय अनु.अधि.अनूपपुर जिला शहडोल में म.प्र. राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. 15/अ-23/2002-2003 में दिनांक 23.07.2003 को निर्णय पारित हुआ। उक्त निर्णय अनु.जाति के पक्ष में पारित हुआ है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20-241/2003/सात/2ए, दि.15.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	88	अता.प्र.सं.61 (क्र.2237) दि. 26.02.2003	मुंगावली तहसील के ग्राम पचमऊआ में अवैध पट्टे निरस्त किया जाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई।	न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।	तहसील मुंगावली के ग्राम पचमऊआ के पट्टों से संबंधित प्रकरण-2अ/99/2000 आदेश दिनांक 10.12.1999 के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर के यहां प्रचलित निगरानी प्रकरण में न्यायालयीन कार्रवाई लंबित होने की स्थिति में आश्वासन विलोपन योग्य। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-73/2011/सात/2ए, दिनांक 23.02.2011** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 12381/वि.स./ आश्वा./ 2011, दिनांक 31.05.2011 एवं स्मरण पत्र क्रमशः दि.19.10.2012, 14.04.2013, 31.07.2013, 07.01.2014, 16.10.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***यह आश्वासन मार्च 2003 का काफी पुराना है, 08 वर्ष में प्रकरण न निपटाने के कारणों पर टीप दी जाये एवं उपरोक्त आश्वासन के निराकृत होने की संभावित अवधि एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	93	परि.अता.प्र.सं.29 (क्र.3543) दि. 05.03.2003	देवास जिले के ग्राम राला में जमीनों के पट्टे वितरण में अनियमितता जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	निगरानी प्रकरण में निर्णय होने पर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।	तहसील एवं जिला देवास के ग्राम रालामण्डल में प्रकरण क्रमांक 57/अ-19(4)/2000-01 के अंतर्गत भूमि बंटन में पाई गई अनियमितता के संबंध में प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी पाये गये अधिकारी तत्कालीन तहसीलदार देवास ए.के. रावल, के विरूद्ध आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा विभागीय जांच कायम की गई थी। जांच प्रकरण में आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा दिनांक 12.07.2010 को आदेश पारित किया जाकर संबंधित तहसीलदार को दोषमुक्त पाया जाने के फलस्वरूप प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/1832011/सात/2ए, दिनांक 23.08.2011** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र. 20047/ वि.स./आश्वा./2011, दि.19.09.2011एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: दि.19.10.2012, 14.04.2013, 31.07.2013, 07.01.2014, 16.10.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***तत्कालीन तहसीलदार देवास, श्री ए.के.रावल के विरूद्ध विभागीय जांच पूर्ण करने में हुए विलंब के कारणों पर टीप तथा अतिरिक्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन की प्रति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	96	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 05.03.2003	अंतर्गत खसरा क्रमांक 482 रकबा 4.70 शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाना ।	(1) अगर इसमें कोई अधिकारी दोषी पाया गया ओर जिसने अन-नेसेसरी जमीन दी तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा यह में आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। (2) आपको आश्वस्त करता हूँ कि डेढ महीने के अंदर में सारा मामला खुद जाकर देखूंगा और जरूरत पड़ी तो आपको भी साथ ले चलूंगा और खुद चलकर इस मामले को देखूंगा ओर दर असल जो किया जाना चाहिए वह करूंगा वह में श्योर करता हूँ।	तहसील बीना के ग्राम इटावा की भूमि खसरा नंबर 482 रकबा 4.70 एकड़ भूमि पटवारी अभिलेखा में उदय शिशिर, अभय, अनंत दत्तात्रय राव, पद्माबाई बेवा मनोहर राव, श्रीकांत, रविकांत, प्रशांत पिता मनोहर राव, गोपालराव पिता बापू, सखाराम, आचवल के नाम शासकीय अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है जो मौके पर रिक्त हैं। भूमि पर अतिक्रमण न होने से हटाये जाने अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध जांच का प्रश्न ही नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 256/6278/2007/सात/2ए, दिनांक 04.02.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	97	परि.ता.प्र.सं.02 (क्र.5099) दि. 12.03.2003	1. विजयपुर तहसील में फर्जी आवंटन की जांच। 2. दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई।	1. रिपोर्ट दर्ज हो रही है और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई होगी। 2. जितने उसमें दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी एफ.आई.आर. उनकी लांच कर दी है, उनके अगेंस्ट में और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और अगर वह नान बैलेबल अफेन्स होगा तो अरेस्ट करेगी और विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।	श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर में फर्जी आवंटन किये जाने वाले दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध थाना विजयपुर, गसवानी, चिलवानी में एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई, जिस परसे प्रकरण व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 5-79/07/सात-4ए, दिनांक 24.02.2009** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20911/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 19.10.2012 एवं स्मरण पत्र क्रमश: दिनांक 14.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***1.विजयपुर तहसील में फर्जी आवंटन की जांच।*** ***2.दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जांच।*** तदुपरांत विभाग द्वारा निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराई गई :- 1. जांच की जा चुकी है। संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। 2. थाना चिमलवानी में अपराध क्रमांक 03/03 धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 व थाना गंसवानी में अपराध क्रमांक 55/03 धारा 120 बी 419, 420, 467, 471 एवं थाना 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज है। अपराध क्रमांक 07/04 दिनांक 23.03.2004 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 420, 120बी के तहत दर्ज है। अपराध क्रमांक 07/04 दिनांक 23.03.2004 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 420, 120 बी के तहत दर्ज है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **ए992/325/2013/सात-4ए, दिनांक 20.06.2013** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15256/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 09.07.2013, 07.01.2014, 16.10.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***नायब तहसीलदार विजयपुर के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में दर्ज अपराध क्रमांक 07/04 दिनांक 23.03.2004 में प्रकरण की अद्यतन स्थिति।*** तदुपरांत विभाग द्वारा निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराई गई :- 1. दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध पैरा-2 में उल्लेखित अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है। 2. श्री वाय.एस.चौहान तत्कालीन नायब तहसीलदार विजयपुर जिला श्योपुर वर्तमान जिला मुरैना के विरूद्ध थाना चिमलवानी में अपराध क्रमांक 03/03 धारा 419, 420, 467, 478, 471, थाना गसवानी में अपराध क्र. 55/03 धारा 120 बी, 419, 420, 467, 471, एवं थाना विजयपुर में अपराध क्र. 39/04 धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468, आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया है तथा अपराध क्र. 07/04 दिनांक 23.03.2004 राज्य आर्थिक अपराध अनिवेषण ब्यूरों द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 420, 120 बी, के तहत दर्ज किया गया है। 3. अपराध क्रमांक 55/03 में माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) श्योपुर के निर्णय दिनांक 17.03.2015 के द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 467/34 में 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 468/34 में 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 465 एवं 471/34 में डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास तथा म.प्र.विनिद्धिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम की धारा 32ग/34 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ-19/शि.शा./वि.स.आ./प्राआ/2015/634, दिनांक 01.02.2016**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	98	परि.ता.प्र.सं.18 (क्र.4638) दि. 12.03.2003	लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था होशंगाबाद द्वारा खरीदे गये भूखण्डों का नामांतरण किये जाने की कार्रवाई।	माननीय विधायका जी ने जो कहा है उसके बारे में विचार कर लिया जावेगा और जो संभव कार्रवाई होगी की जावेगी।	प्रकरण में न्यायालयीन कार्रवाई प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-21/03/नजूल, दिनांक 06.01.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
21.	100	परि.अता.प्र.सं.39 (क्र.4633) दि. 12.03.2003	प्रदेश में पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षकों वृत्तों के पुनर्गठन पर विचार।	प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रख विचार किया जावेगा।	वर्ष 2003 के पश्चात राज्य शासन द्वारा प्रदेश में तहसीलों का निर्माण एवं जिलों का पुनर्गठन किया गया है। उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षक वृत्तों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार तहसीलों/जिलों के गठन के फलस्वरूप पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षक वृत्तों का पुनर्गठन हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** 767/757/09/सात/शा-6, दिनांक 09.06.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
22.	102	अता.प्र.सं.23 (क्र.4022) दि. 12.03.2003	सागर जिले की राजघाट बांध नहर परियोजना के लिये अधिकृत की जाने वाली भूमि हेतु मुआवजा राशि की व्यवस्था।	योजना की प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत निर्धारण किया जायेगा।	सागर जिले की राजघाट बांध नहर परियोजना के लिये अधिकृत की गई भूमि से संबंधित सभी कृषकों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2153/2009/सात/2ए, दिनांक 13.10.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
23.	105	ता.प्र.सं.11 (क्र.6066) दि. 27.03.2003	जबलपुर जिले के तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदारों को जो राज्य मंत्रालय में पदस्थ हैं उन्हें अन्य जिलों में पदस्थ किया जाना।	1. इनको काफी अर्से से रखा गया है ठीक पांच तारीख को बोर्ड की बैठक हम कर रहे है जिले में बहुत सारी जगह है उसमें इनको कहीं और रख देंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2. सालों से पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार जिनकी पदस्थापना पांच वर्षों से ज्यादा है अन्य स्थानों में स्थानांतरण किए जाने का निर्णय लिया जावेगा।	जबलपुर अथवा अन्य किसी जिले से कोई भी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार मंत्रालय में पदस्थ नहीं है। सभी जिलों में पदस्थ हो चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3730/7858/2008/सात-4ए, दिनांक 02.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	106	ता.प्र.सं.13 (क्र.5990) दि. 27.03.2003	अयोध्या उप नगर बायपास रोड नरेला शंकरी में अवरोधित रोड को जे.के. रोड तक जोड़ा जाना।	बाबूलाल जी गौर को साथ लेकर हम दोनों जाकर के इसको देख लेंगे जो भी संभव कार्रवाई होगी वैसा निराकरण करा लेंगे।	कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा उल्लेख किया है कि अयोध्या नगर बायपास रोड नरेला शंकरी में अवरोधित रोड को जे.के. रोड तक जोड़े जाने के संबंध था, जिसमें मा.मंत्री श्री बाबूलाल जी गौर के द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उक्त अवरोधित रोड को जुडवाने का आश्वासन दिया गया था। अयोध्या तक पहुंच मार्ग का अवरोध हटा दिया गया है एवं रोड पर पक्की सड़क का निर्माण भी करा दिया गया है। अयोध्या नगर बायपास रोड से नरेला शंकरी तक कोई भी अवरोध नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2015/58, दि.26.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
ग्रामोद्योग विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
25.	115	अता.प्र.सं.31 (क्र.3168) दि. 06.03.2003	ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा कर शासकीय नौकरी पाने वाले के विरूद्ध कार्रवाई।	छानबीन समिति से जांच प्रतिवेदन उत्तर अप्राप्त है। प्राप्त होने पर शासन नियम/निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।	1. हाथकरघा संचालनालय के 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में फर्जी प्रमाण पत्र की जांच हेतु प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इन 18 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 01 अधिकारी श्री एस.सी. डेकाटे को अन्य कारणों से सेवा से पृथक् किया गया है व एक कर्मचारी श्री जी.एल. भूरिया सेवा निवृत्त हो चुके हैं इनके संबंध में छानबीन समिति की अनुशंसा उत्तर अप्राप्त है। 2. अभी तक उक्त 16 अधिकारियों/कर्मचारियों में से छानबीन समिति द्वारा 07 अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निर्णय पारित किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-21/2003/52-1, दिनांक 31.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
26.	120 एवं 122 (एकजाई)	ता.प्र.सं.05 (क्र.3370) दि. 27.03.2003	बैतूल जिले में मछली पालन तालाबों के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच।	आश्वासन के परिपालन में दोषी कर्मचारी की जांच करा ली गई।	आश्वासन क्रमांक 120 एवं 122 की दोनों में आरोप समान प्रकृति के हैं। आश्वासन के आधार पर प्रकरण में जांच की कार्रवाई की गई। जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप अपचारी अधिकारी श्री अजय शक्ति भटनागर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अन्तर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड संचालनालय मत्स्योद्योग के आदेश क्रमांक 5207/म/स्था-जांच/2011 दिनांक 28.03.2011 से पारित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-19/2012/36, दिनांक 09.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	128	अता.प्र.सं.12 (क्र.247) दि. 13.02.2003	खण्डवा जिला अंतर्गत वर्ष 2001-02 व 2002-03 में विकासखण्ड वार मातृत्व सहायता योजना में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	जनसंख्या के आधार पर प्रकरणों के विश्वसनीयता की जांच कराई जावेगी एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	खण्डवा जिले में राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजनान्तर्गत 15 से अधिक स्वीकृत प्रकरणों वाले ग्रामों में स्वीकृत प्रकरणों की जांच उपरांत खकनार विकासखण्ड के ग्राम शेखपुरा में वर्ष 2001-02 में कुल 44 प्रकरण एवं 2002-03 में कुल 49 प्रकरण स्वीकृत किये गये । जिनमें से कुल 29 प्रकरण अनियमित/नियम विरूद्ध स्वीकृत पाये गये । उक्त प्रकरणों में सभी लाभांवित हितग्राही नियमानुसार पात्र है परंतु उन्हें उसी वर्ष में योजना का लाभ देने की दृष्टि से वास्तविक प्रसव दिनांकों व माहों में फेरबदल कर प्रकरण स्वीकृत कराये गये । उक्त अनियमितता के लिये प्रथम दृष्टया दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पंचायत सचिव को दोषी पाया गया है एवं दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 6 माह का मानदेय कटौती करने की वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही सरपंच एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध म.प्र.पंचायत व ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.10.03 के द्वारा कार्रवाई की जाकर चेतावनी दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-3/2003/50-2, दिनांक 16.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	138	ता.प्र.सं.18 (क्र.1062) दि. 20.02.2003	कटनी जिले से घुघरा नाला में 3 बार स्टॉपडेम के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं राशि की वसूली ।	चूंकि शिकायत हुई आरआरसी जारी हुई और राशि वसूल की जाएगी जिसमें ग्राम पंचायत की राशि ठीक रहेगी ।	सरपंच द्वारा अनियमित व्यय की गई राशि रू. 49,500/- की वसूली हेतु आर.आर.सी. दिनांक 30.10.02 को जारी की जाकर प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 6458/22/वि.7/05, दिनांक 16.05.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 16769/वि.स./आश्वा./2007, दि.28.07.2007 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 25.07.2009, 02.02.2010, 02.12.2010, 03.11.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 07.01.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***कटनी जिले से घुघरा नाला में तीन बार स्टापडेम के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं राशि की वसूली हेतु न्यायालय जांच प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति ।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है ।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
29.	143	ता.प्र.सं.06 (क्र.3008) दि. 27.02.2003	मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष ब्लॉको के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की अवधि ।	बाकी ब्लॉकों में कार्य अगले वर्ष किये जावेगें ।	भिण्ड जिले के मेहगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अप्रैल 2003 तक स्वीकृत सभी मार्गों का निर्माण कार्य दिनांक 31.05.2007 को पूर्ण करा लिया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 9551/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आश्वा./143/ 04-03, दिनांक 05.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	155	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.3903) दि. 13.03.2003	शहडोल व उमरिया जिले में स्वीकृत पैकेज मार्ग के परिवर्तन में पूर्व निर्माण लागत व वर्तमान लागत राशि की जवाबदेही तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना।	प्रकरण में परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जावेगी।	महाप्रबंधक की जवाबदेही तयकर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7053/22/वि-12/ग्रा.स.7/2003, दि.22.11.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20500/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 03.09.2005 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 19.12.2005, 07.09.2005, 28.07.2007, 02.02.2010, 02.12.2010, 03.11.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 07.01.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***महाप्रबंधक के विरूद्ध संस्थित की गई विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
31.	159	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.3623) दि. 28.03.2003	वित्तीय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के कार्यों में से रेंडम सेम्पलिंग के द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड के एक मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता की जांच मा.विधायक के समक्ष कराई जाना।	जी हां यथाशीघ्र।	जिले के प्रत्येक विकासखण्ड के एक-एक मार्ग की गुणवत्ता की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से मा. विधायक के प्रतिनिधि के समक्ष कराई गई। सभी मार्गों का कार्य संतोषप्रद, उपयोगी एवं आवागमन चालू होना प्रतिवेदित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7676/नस्ती/क्र-61-8/22/वी-10/ग्रा.या.से/8, दिनांक 24.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	166	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.240) दि. 13.02.2003	ग्राम पंचायत कोठड़ा जिला देवास में पंचायत सचिव को की गई अवैधानिक नियुक्ति की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	विस्तृत जांच कर जांच निर्णय के आधार पर कार्रवाई संभव है।	ग्राम पंचायत कोठड़ा में प्रस्ताव दिनांक 15.03.01 द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार कर श्री मोजोराम पिता रामपाल लोधी को सचिव पद पर नियुक्ति की गई, इसके तत्काल पश्चात दिनांक 03.07.2001 को ग्राम पंचायत ने पुन: प्रस्ताव कर श्री मोजोराम के स्थान पर श्री हरीप्रसाद सरदिया को पंचायत कर्मी नियुक्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में पूर्व नियुक्त आवेदक श्री मोजोराम ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कन्नौद में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 03.07.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे विधिसम्मत सुनवाई के पश्चात अपील प्र.क्र. 41/अपील/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 25.09.01 से नियम विरूद्ध घोषित किया तथा न्यायालय कलेक्टर, देवास ने भी प्र.क.41/अपील/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2001 से नियम विरूद्ध घोषित किया तथा न्यायालय कलेक्टर, देवास ने भी प्र.क्र./15/अ-89/01-02 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2002 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कन्नौद के आदेश दिनांक 25.09.01 को स्थिर रखा अर्थात ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 15.03.01 का यथावत मौजूद रहा। अत: अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर देवास के पारित निर्णय तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्नौद के पत्र क्रमांक/903 दिनांक 26.07.2002 पत्र क्रमांक/1049 दिनांक 12.08.2002 के अनुक्रम में सरपंच ग्राम पंचायत कोठड़ा ने नियम विरूद्ध तरीके से नियुक्त पंचायतकर्मी के स्थान पर दिनांक 15.03.2001 के प्रस्ताव अनुसार नियुक्त पंचायतकर्मी मोजोराम को नियुक्ति प्रदान कर दी है। माननीय फौजदारी न्यायालय ने शिकायत पत्र प्राप्त होने पर सरपंच एवं अवैध रूप से नियुक्त पंचायत सचिव द्वारा बैंक से आहरित राशि के संबंध में जांच कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1673 दिनांक 26.07.2002 से जांच प्रतिवेदन भेजा गया जिस पर	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कन्नौद, सरपंच ग्राम पंचायत कोठड़ी, श्री हरिप्रसाद सरदिया तत्कालीन पंचायत सचिव, सरपंच पति एंव श्री तिर्की ग्राम सहायक के विरूद्ध प्रकरण भी दर्ज हुआ है। प्रकरण व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 कन्नौद जिला देवास में प्रचलित है । जिसकी आगामी पेशी दिनांक 23.06.2005 नियत थी । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-100/2003/22/पं, दिनांक 21.07.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 27222/वि.स./ आश्वा./2005, दिनांक 19.12.2005 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 30.07.2007, 26.05.2008, 23.07.2009, 02.02.2010, 24.12.2010, 05.09.2011, 03.11.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 07.01.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***ग्राम पंचायत कोठड़ा, जिला देवास में पंचायत सचिव की, की गई अवैधानिक नियुक्ति की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई ।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है ।	

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
पर्यटन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	157	अता.प्र.सं.54 (क्र.5135) दि. 13.03.2003	बालाघाट शहर के किनारे से बहने वाली बैंनगंगा नदी के कच्चे घाटों का पक्का निर्माण कराने की अवधि।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जावेगी।	पर्यटन विभाग का सीमित बजट प्रावधान होने के कारण उक्त स्थल का विकास पर्यटन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-27/04/तैंतीस, दिनांक 30.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	191	ता.प्र.सं.05 (क्र.1217) दि. 20.02.2003	सतना जिले में स्वीकृत नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि।	जल स्रोत एवं आवंटन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किए जा सकेंगे।	16 लंबित नलजल योजनाओं में से 12 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं 2 योजनाओं में स्रोत उपलब्धता नहीं है। दोनों ग्रामों में पर्याप्त हैण्डपंप स्थापित किए जा चुके हैं, 2 ग्रामों में कार्य अपूर्ण हैं, यथाशीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2285/2008/2/34, दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
35.	201	ता.प्र.सं.07 (क्र.4364) दि. 13.03.2003	1. श्योपुर जिले के कराहल आदिवासी विकासखण्ड में बंद पड़ी नलजल योजनाओं को चालू किये जाने की अवधि। 2. ग्राम कौंथ में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की अवधि।	1. दो वर्ष में पूरी योजनाएं ठीक करा दी जाएगी। 2. नया स्रोत मार्च से पहले ही कर दिया जाएगा।	1. श्योपुर जिले के विकासखण्ड कराहल के 27 ग्रामों में 27 सोलरपंप योजनायें क्रियान्वित की गई थी, सभी योजनाओं के सोलर प्लेट, इनवर्टर चोरी हो जाने के कारण योजनायें बंद हो गई थीं, जिन्हें पुन: चालू किया जाना संभव नहीं था। सोलर पंप वाले नलकूपों में से सोलर मोटर निकाल कर विभाग द्वारा हैण्डपंप एवं सिंगल फेस मोटर पंप स्थापित किये गये, जो वर्तमान में विद्युत वाले ग्रामों में विद्युत से एवं विद्युत विहीन वाले ग्रामों में डीजल जनरेटर सेट से संचालित है। 2. ग्राम कौंथ में माह अप्रैल 2004 में सफल नलकूप खनित कर हैण्डपंप स्थापित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2700/1694/2012/2/34, दिनांक 22.06.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	221	ता.प्र.सं.14 (क्र.463) दि. 20.02.2003	1. सागर संभागायुक्त द्वारा पार्षदों से धोखा देकर महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत कराने तथा इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर करने संबंधी प्रकरण की जांच। 2. झूठे आरोप लगाकर महापौर को हटाने वाले संभागायुक्त श्री नायडू को हटाकर जांच कराई जाना। 3. प्रमुख सचिव द्वारा जांच कराई जाना एवं जांच कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि। 4. विभाग द्वारा बिना मांग के सोडियम लेम्प की खरीदी की जांच।	1. निश्चित रूप से इस बात को जांच में सम्मिलित करेंगे। 2. कोर्ट के आदेश हो चुके है आदेश की प्रति बुलाकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 3. प्रमुख सचिव से जांच करा लेंगे यह मैं कमिटमेंट करता हूं। 4. 02 माह में करा लेंगे। 5. इसे भी जांच में सम्मिलित कर लूंगा।	माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 20.02.2003 को विधानसभा में दिये गये संशोधित वक्तव्य अनुसार विभाग के पत्र दिनांक 30.01.2012 द्वारा सचिव (कार्मिक) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, को संशोधित वक्तव्य की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से कराने का अनुरोध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 481/1908/2011/18-3, दिनांक 15.02.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 10098/वि.स./आश्वा./12 दि. 17.04.2012 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 10.12.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 31.12.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***आश्वासन वर्ष 2003 का है। 09 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ हे। मान. मंत्रीजी द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप जांच एवं की गई कार्रवाई की जानकारी एवं इसमें हो रहे विलंब के कारणों की स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी उत्तर अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
37.	222	परि.अता.प्र.सं.21 (क्र.1299) दि. 20.02.2003	शहरी विकास अभिकरण द्वारा उत्तर एवं दक्षिण भोपाल क्षेत्र के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किए जाने की अवधि।	भोपाल दक्षिण और उत्तर में पर्याप्त कार्य हो जाने के कारण आश्वासन प्रासंगिक नहीं है।	नगर निगम, भोपाल द्वारा अभिलेख अनुसार वर्ष 2002-03 में संचालित शहरी विकास अभिकरण भोपाल द्वारा प्रदान की गई राशि के अंतर्गत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5778/3621/2015/18-2, दिनांक 07.10.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	231	अता.प्र.सं.43 (क्र.1791) दि. 20.02.2003	1. राज्य शासन के आदेश के परिपालन में कलेक्टर, बैतूल द्वारा नगर पालिका परिषद बैतूल के सी.एम.ओ. आर.के.श्रीवास्तव को तत्काल भारमुक्त होकर प्रभार सौंपने के दिये गए निर्देश का पालन न करने पर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई। 2. उपरोक्त आदेश के बावजूद सी.एम.ओ. द्वारा नियम विरूद्ध नियुक्तियां करने संबंधी प्रकरण में दोषी सी.एम.ओ., प्रभारी लेखापाल व अध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई।	1. जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। 2. जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	उप संचालक भोपाल को प्रकरण में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6454/2008/18-1, दिनांक 29.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
39.	234	अता.प्र.सं.48 (क्र.3062) दि. 27.02.2003	नगर पंचायत गोटेगांव में प्रतिबंध होने पर भी मास्टर रोल एवं दैनिक वेतन पर नियुक्तियां करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।	प्रकरण की जांच उप संचालक जबलपुर से कराई जा रही है प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6170/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
40.	241	ता.प्र.सं.05 (क्र.2816) दि. 27.02.2003	शहडोल जिले के कोतमा में रोड के गुणवत्ताहीन निर्माण में उपयंत्री व सी.एम.ओ. नगर पालिका द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	उप संचालक रीवा से प्रकरण की जांच कराई जा रही है प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6167/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
41.	242	ता.प्र.सं.13 (क्र.2618) दि. 27.02.2003	बालाघाट व वारासिवनी की टेण्डर दरों एवं महाविद्यालय की बिल्डिंग तक हुये निर्माण के बिलों का मिलान कर अनियमितता पाये जाने पर टेण्डर निरस्त करने की कार्रवाई।	उप संचालक, कार्यालय जबलपुर के अधीक्षण यंत्री, है इनसे हम जांच करा लेंगे। इसमें जरा सी भी अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से मानकर चलिए जो आपकी मंशा है वो ही काम होगा।	प्रकरण की जांच अधीक्षण यंत्री, जबलपुर से कराई गयी है। निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है, इसलिए कोई दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **8230/1576/2012/18-2, दिनांक 15.11.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	243	वक्तव्य श्री सज्जन सिंह वर्मा, स्थानीय शासन मंत्री दि. 28.02.2003	नगर निगम, जबलपुर की बैठक में घटित घटना की जांच।	प्रमुख सचिव से जांच करा लेंगे।	प्रमुख सचिव द्वारा इस संबंध में नगर निगम आयुक्त जबलपुर से स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई । उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्समय आयुक्त एवं महापौर के बीच विधि अधिकारी की उपस्थिति कराने के लिये तत्कालीन मुद्दा उठाया गया था, जिसका कोई प्रभाव नहीं है और न ही इसमें किसी कार्रवाई की आवश्यकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1958/2288/2011/18-1, दिनांक 22.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
43.	248	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.3253) दि. 06.02.2003	नगर पंचायत उन्हेल में पेयजल परिवहन हेतु उपलब्ध राशि का अन्य मदों में भुगतान की जांच की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	उप संचालक उज्जैन को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6148/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
44.	249	परि.अता.प्र.सं.54 (क्र.4111) दि. 08.03.2003	नगर पालिका बैतूल को सड़क मरम्मत मद हेतु प्राप्त अनुदान को अन्य मद में भुगतान किये जाने की जांच।	प्रकरण की जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच के निष्कर्ष पर कार्रवाई निर्भर होगी।	उप संचालक, भोपाल को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6164/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
45.	250	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.4114) दि. 06.02.2003	नगर पालिका बैतूल के सी.एम.ओ. एवं लेखापाल के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच के निष्कर्ष पर कार्रवाई निर्भर होगी।	उप संचालक भोपाल को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच की निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2537/10/18-1, दिनांक 06.07.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21318/वि.स./आश्वा./2010, दि 29.10.2010 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 10.12.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 31.12.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण में विलंब का कारण एवं जांच की कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी उत्तर अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	252	ता.प्र.सं.04 (क्र.4266) दि. 13.03.2003	1. रीवा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के घटिया निर्माण कार्य की जांच। 2. देवतालाब तमरी रोड और देवतालाब से नई गढ़ी रोड को ठीक कराया जाना।	1. गुणवत्ता के आधार सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसका हम परीक्षण करा लेंगे। 2. यदि कोई सड़क खराब होगी तो ठीक करा देंगे।	प्रकरण पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित है। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को आश्वासन की पूर्ति के लिए अनुरोध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2537/10/18-1, दिनांक 06.07.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21318/वि.स./आश्वा./ 2010, दि 29.10.2010 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 10.12.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 31.12.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***विभाग ने प्रकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कब भेजा गया एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने उसमें क्या कार्रवाई की है इसकी अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी उत्तर अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
47.	259	ता.प्र.सं.69 (क्र.6294) दि. 28.03.2003	नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष को पद से पृथक् करने हेतु परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर कार्रवाई।	25.03.03 को शासन इसमें अतिशीघ्र निर्णय लेगा।	नगर पालिका नीमच के अध्यक्ष विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6144/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
48.	260	ता.प्र.सं.10 (क्र.5327) दि. 28.03.2003	सीधी जिले के नगर पालिक निगम सिंगरौली के प्रभारी कार्यपालन यंत्री के कार्यकाल की जांच विधायक के समक्ष कराई जाना।	मैं इसकी जांच करा लूंगा और स्थानीय विधायक को भी इसमें शामिल कर लूंगा।	उप संचालक, जबलपुर को प्रकरण में जांच के निर्देश दिए गए है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6457/2008/18-1, दिनांक 29.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
49.	268	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.5267) दि. 28.03.2003	सिरोज नगरपालिका परिषद द्वारा फरवरी 2000 से फरवरी 2003 तक नलजल योजना हेतु पाईप/ विद्युत सामग्री क्रय में अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण की जांच करायी गयी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4018/2008/18-1, दिनांक 30.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	287	ता.प्र.सं.05 (क्र.2173) दि. 21.02.2003	भिण्ड जिले के गोहद में मार्गों के निर्माण कार्यों की वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर जांच कराई जाना।	जी हां, जांच करा लेंगे।	विभाग के आदेश क्रमांक एफ-17-20/2005/स्था/19 दिनांक 31.05.2012 द्वारा श्री आर.के.वर्मा, से.नि. कार्यपालन यंत्री एवं आदेश दिनांक 20.10.2011 तथा 26.06.2012 द्वारा श्री एस.आर.गुप्ता, उपयंत्री श्री आर.के. श्रीवास्तव, उपयंत्री, श्री आर.सी. जाटव, उपयंत्री, श्री पी.के.द्विवेदी, उपयंत्री के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये गये है। प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के कारणों का लेख आदेश में वर्णित है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1159/4326/2011/स्था/19, दिनांक 01.03.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	303	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.3816) दि. 07.03.2003	उन्हेल-उज्जैन मार्ग निर्माण में कृषकों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान।	यथाशीघ्र	उन्हेल-उज्जैन मार्ग 26.0 कि.मी. मार्ग हेतु 19.02.74 को रूपये 23.22 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई एवं मार्ग निर्माण में छः ग्रामों की 15.941 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई। प्रकरण मुआवजा निर्धारण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव 12.03.87 को भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन को भेजा गया। कार्यपालन यंत्री द्वारा पुनः 21.12.86, 01.06.2000, 21.02.2003 को भू-अर्जन अधिकारी को अवार्ड पारित करने हेतु स्मरण कराया गया। मुआवजा राशि भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन द्वारा निर्धारित की जाने पर आवेदन प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-9/2003/स्था.19, दिनांक 13.05.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 12340/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 03.06.2005 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 03.04.2006, 28.07.2007, 29.01.2008, 29.07.2009, 27.01.2010, 25.11.2010, 17.10.2012, 13.07.2013, 30.12.2013, 20.10.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***उन्हेल-उज्जैन मार्ग निर्माण में कृषकों को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान की कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	338	अता.प्र.सं.30 (क्र.3419) दि. 07.03.2003	ग्वालियर एवं चंबल संभाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्म्स लायसेंस हेतु लंबित आवेदनों के निराकरण की अवधि।	शेष आवेदनों में जांच की प्रक्रिया प्रचलित है।	ग्वालियर एवं चंबल संभाग के - 1. जिला ग्वालियर में 31 फरवरी, 2003 की स्थिति में 515 अनु.जाति एवं 40 अनु.जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आवेदन पत्र लंबित थे जिनमें से अनु.जाति वर्ग के 315 तथा अनु.जन जाति वर्ग के 12 आवेदकों को लायसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के प्रतिवेदन एवं प्रकरण के गुण-दोषों के आधार पर पात्र नहीं होने से कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर नस्तीबद्ध किये गये हैं। 2. दतिया जिले में दिनांक 31 फरवरी, 2003 की स्थिति में अनु.जाति के 52 आर्म्स लायसेंस संबंधी आवेदन पत्र विचाराधीन थे जिनमें से 35 आर्म्स लायसेंस के आवेदन पत्रों में पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा नहीं होने तथा गुणदोषों के आधार पर पात्र नहीं होने से निरस्त किये गये हैं। शेष 17 अनुसूचित जाति के आर्म्स लायसेंस संबंधी आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। 3. गुना जिले में तत्समय 68 एससी के एवं 88 एसटी के कुल 156 आवेदन पत्र में पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन उपरांत 06 एस.सी. के तथा 27 एस.टी. के आवेदकों के शस्त्र लायसेंस स्वीकृत कर जारी किये गये हैं। शेष एस.सर. के 62 एवं 61 एस.टी. के आवेदकों के आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किये गये हैं। 4. शिवपुरी जिले में वर्ष 2003 में आर्म्स लायसेंस हेतु अनुसूचित जाति के 73 एवं अनुसूचित जनजाति के 71 कुल 144 शस्त्र लायसेंस जारी किये जाकर लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					5. जिला मुरैना में तत्समय का कोई भी आवेदन निराकरण हेतु लंबित नहीं है। 6. जिला भिण्ड के अंतर्गत दिनांक 31.01.2003 की अवधि में अनुसूचित जाति के 70 एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रकरण जांच में प्रचलित थे। दिनांक 31.01.2003 की अवधि के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 7. जिला श्योपुर में 31 फरवरी, 2003 में अनुसूचित जाति के 07 आवेदन एवं अनुसूचित जनजाति के 02 आवेदन लंबित थे । उक्त सभी आवेदकगणों को लायसेंस जारी किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1170/5885/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.04.2014**	

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
53.	352	अता.प्र.सं.40 (क्र.4558) दि. 24.03.2003	समन्वय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई।	संस्था का पूर्ण रिकार्ड प्राप्त होने पर जांच पूर्ण की जा सकेगी।	संस्था का रिकार्ड आर्थिक अपराध अनुसंधान में जप्त होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी है। रिकार्ड प्राप्त होते ही कार्रवाई की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-86/2003/15-1, दिनांक 24.01.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 16508/वि.स./आश्वा./2007, दि 26.07.2007 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई:- ***समन्वय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
54.	365	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र.5707) दि. 24.03.2003	बालाघाट जिले के वारासिवनी नगर में गंगोत्री कालोनी में कालोनाईजर्स द्वारा की गई अनियमितता की जांच तथा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई।	(1) मैं कलेक्टर, बालाघाट को लिखूंगा कि उस कॉलोनाईजर के खिलाफ जिन्होंने सही प्रमाण-पत्र नहीं लिया है और गलत तरीके से काम किया हे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। (2) जिन्होंने भी लापरवाही की होगी उनके खिलाफ भी मैं कार्यवाही करूंगा यह मैं आश्वस्त करता है। (3) मैं कलेक्टर को लिखूंगा कि इन कॉलोनियों को जो अनुज्ञा दी गई है वह निरस्त किए जाने की कार्यवाही करें।	कलेक्टर, जिला-बालाघाट द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार वारासिवनी नगर स्थित गंगोत्री कालोनी में कालोनाईजर द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में साक्ष्य की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई । साक्ष्यों के बयान अनुसार कालोनाईजर द्वारा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा विकास शुल्क की राशि भी जमा करा दी गई है। दिनांक 15.12.2009 को उक्त कालोनी के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाकर कालोनी नगर पालिका परिषद, वारासिवनी को हस्तांतरित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-9-93/2003/बत्तीस, दिनांक 15.10.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55.	381	ता.प्र.सं.11 (क्र.1346) दि. 24.02.2003	जिला मुरैना सी.एम.ओ. द्वारा आवंटन की राशि एवं लंबित भुगतान की अवधि।	जिला योजना समिति के अनुमोदन एवं अनुमति होने पर शीघ्र ही किया जावेगा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना के लंबित बिलों के अनुसंधान की स्वीकृति पत्र क्रमांक 6/लेखा/2008/196/224, दिनांक 01.05.2008 द्वारा जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 17-16/2003/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
56.	390	अता.प्र.सं.54 (क्र.3475) दि. 03.03.2003	शासकीय चिकित्सालयों में सी.एम.एच.ओ., स्टोर कीपर, स्टोर प्रभारी अधिकारी की प्रदायकर्ताओं से मिलीभगत के कारण लाखों रूपये का अनियमित भुगतान करने संबंधी प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच का प्रतिवेदन आने के पश्चात ही नियमानुसार कार्रवाई की सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट-1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	396	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.4629) दि. 10.03.2003	औषधियों/उपकरण/सामग्री क्रय में अनियमितताओं की जांच एवं संबंधितों को वर्तमान पदस्थल/ पदभार से हटाकर अन्यत्र पदस्थ करने की कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट-1 के अनुसार
58.	398	अता.प्र.सं.56 (क्र.4622) दि. 10.03.2003	लंबित जांच को पूर्ण किया जाकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी तथा संभव शीघ्र।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा द्वारा ब्लड बैंक सामग्री में की गई अनियमितताओं की जांच श्री एम.पी. पटेल, डिप्टी कलेक्टर, विदिशा से कराई गई। आश्वासन क्रमांक 398 विषय से संबंधित शिकायती प्रकरण लोक आयुक्त कार्यालय द्वारा भी जांच प्रकरण 41/190 पंजीबद्ध किया गया। लोक आयुक्त सेल में भी प्रचलित रहा जिसमें शिकायती प्रकरण जांच हेतु कलेक्टर, विदिशा को भेजा गया एवं कलेक्टर विदिशा द्वारा शिकायती प्रकरण की जांच श्री एम.पी. पटेल, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा द्वारा जांच पूर्ण पत्र क्रमांक क्यू./ए.पी.डी./03/1807 दिनांक 06.02.2003 द्वारा प्रतिवेदन संचालनालय को भेजा गया। प्रकरण में लोक आयुक्त संगठन के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2633, दिनांक 30.10.2004 द्वारा डॉ. दिनेश कौशल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात शासन के पत्र दिनांक 20.11.2006 के संदर्भ में डॉ. कौशल को दिनांक 19.12.2006 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गये जिसका परीक्षणोपरांत संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./व्ही.सी./07/1098, दिनांक 19.07.2007 द्वारा डॉ. कौशल के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर जांच अधिकारी श्री आर.सी. सक्सेना, सेवानिवृत्त, अवर सचिव, स्थानीय शासन को बनाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डॉ. कौशल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोपों में आंशिक रूप से दोषी पाया गया एवं विभागीय जांच अधिकारी की जांच	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					रिपोर्ट में डिस्पोजेबल सीरिज मात्र 3307/- रूपये की हैं। प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. कौशल द्वारा नियम की अनभिज्ञता से किया किसी दुर्भावना से नहीं किया गया जिसका परीक्षणोपरांत प्रकरण में डॉ. दिनेश कौशल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा को भविष्य में अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति सावधानी से कार्य करने की चेतावनी संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./व्ही.सी./जांच प्र.41/190/फा.क्र. 129/2008/2515, दिनांक 16.10.2008 द्वारा देते हुए संस्थित विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया। शिकायत में वर्णित श्री विजय शर्मा, स्टोर कीपर के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा द्वारा अवगत कराया गया कि श्री विजय शर्मा, स्टोरकीपर का स्वर्गवास शासकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 15.02.2006 को हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **आर-707/2009/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 17.02.2010**	
59.	400	अता.प्र.सं.58 (क्र.4631) दि. 10.03.2003	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के विरूद्ध जांच पूर्ण की जाना।	डॉ. एच.पी. उपाध्याय की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी निर्णय लिया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.	401	ता.प्र.सं.11 (क्र.1346) दि. 25.03.2003	स्वास्थ्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	कार्रवाई प्रचलित है।	1. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/30/2002/ 12300, दिनांक 13.08.2003 द्वारा 19 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। 2. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/30/2002/ 11709-22, दिनांक 01.06.2004 द्वारा 06 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। 3. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/12/08/ 6892, दिनांक 27.05.2008 द्वारा 29 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। 4. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/12/08/8745, दिनांक 03.07.2008 द्वारा 25 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। 5. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/12/08/ 12749, दिनांक 17.09.2008 द्वारा 57 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। 6. इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था/30/2002/ 12300, दिनांक 13.08.2003 द्वारा 19 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2924/2363/2014/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 17.06.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
61.	402	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.3979) दि. 25.03.2003	कार्यालय अधीक्षिका सह-सिविल सर्जन (विक्टोरिया चिकित्सालय) जबलपुर द्वारा खरीदी गई दवाईयों की जांच की जाकर भुगतान किया जाना।	औषधियों की गुणवत्ता की जांच उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
62.	423	अता.प्र.सं.06 (क्र.4656) दि. 10.03.2003	उद्यानिकी विभाग द्वारा स्मारिका पर व्यय की गई राशि की जांच।	संबंधित अधिकारी से प्राप्त उत्तर परीक्षणाधीन है।	श्री कमलेन्द्र सिंह, उपसंचालक उद्यान से प्राप्त उत्तर का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि स्मारिका का प्रकाशन विभागीय बजट से नहीं किया गया था। प्रकरण में वित्तीय गबन जैसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। श्री कमलेन्द्र सिंह को प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए चरित्रावली चेतावनी दिया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ8/20/2003/58, दिनांक 18.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63.	424	ता.प्र.सं.07 (क्र.5393) दि. 25.03.2003	नागौद कृषि उपज मंडी अध्यक्ष द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना।	अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जावेगी।	श्री यादवेन्द्र सिंह अध्यक्ष मंडी समिति नागौद को कार्यालयीन पत्र दिनांक 31.05.01 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था, जिसमें दिनांक 21.11.01 द्वारा आदेश पारित किये गये कि राशि रूपये 66,298/- मंडी निधि में जमा कराई जाये। जिसके फलस्वरूप श्री यादवेन्द्र द्वारा दिनांक 31.03.02 से रूपये 36,298/- दिनांक 29.07.02 से राशि रूपये 19,000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 66,298/- मंडी निधि में जमा की गई। विधान सभा प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि दूरभाष पर पात्रता से अधिक राशि व्यय की गई है जो मंडी समिति के लेखापाल एवं सचिव द्वारा त्रुटिवश अंकित की गई, जिसके लिये कार्यालयीन पत्र दिनांक 11.08.03 से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जो उन्होने अपने पत्र दिनांक 18.09.03 द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिये क्षमा याचना की गई। अध्यक्ष मंडी समिति द्वारा अपने निवास पर पात्रता से अधिक राशि रू. 12,012/- व्यय की गई थी जो दिनांक 30.03.03 द्वारा मंडी निधि से जमा करा दी गई है तथा कार्यालय दूरभाष पर पात्रता से अधिक व्यय की गई राशि 12,170/- एवं वाहन मरम्मत पर पात्रता से अधिक राशि रू. 84,162/- जमा नहीं कराने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी 3/4/वि.स./5721/अतारांकित/93 दिनांक 09.02.05 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-58 के अंतर्गत वसूली के आदेश जारी किये गये हैं। जिसके फलस्वरूप रसीद बुक क्रमांक 1328/43 दिनांक 03.11.2008 द्वारा दूरभाष पर अधिक व्यय राशि रूपये 12,170/- एवं वाहन मरम्मत पर अधिक व्यय राशि रूपये 84,162/- मंडी निधि में जमा कराई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/80/2003/14-3, दिनांक 04.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64.	429	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र.4826) दि. 25.03.2003	भिण्ड जिले की अटेर तहसील में हारवेस्टिंग टैंक के निर्माण कार्य में लाखों का घोटाला करने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई संभव हो सकेगी।	विभागीय आदेश दि.24.04.2003 द्वारा श्री यू.एस.पांडे, स.भू. सं.अ. भिण्ड श्री विशंभबर सिंह तोमर तत्कालीन स.भू.सं.अ. भिण्ड श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया व.कृ.वि.अ. भिण्ड को निलंबित किया गया एवं संचालक कृषि मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 25.08.2003 द्वारा आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई थी अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :- 1. श्री विशंभर सिंह तोमर, तत्कालीन स.भू.सं.अ. द्वारा उक्त विभागीय जांच के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका 510/008 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2009 के पालन में श्री तोमर को उपसंचालक कृषि भिण्ड के आदेश क्रमांक 695-99 दिनांक 11.06.2009 के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरांत देय स्वत्वों का भुगतान किया गया। 2. श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भिण्ड का दिनांक 03.03.2010 को स्वर्गवास होने के कारण शासन नियमानुसार विभागीय जांच समाप्त की गई। 3. श्री यू.एस.पाण्डे तत्कालीन स.भू.सं.अधि. वर्तमान में सहा.सं.कृ. कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रायसेन को संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के आदेश क्र/अ-5-अ/7-2003/ 1684 दिनांक 30.07.2014 में उल्लेखित शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार आरोप क्रमांक 1 के लिये राशि रू. 18,21,200 की वसूली एंव आरोप क्र. 2 के लिये एक वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर एक वर्ष की राशि एक मुश्त वसूली का निर्णय लिया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10-75/03/14-3, दिनांक 27.09.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	430	अता.प्र.सं.34 (क्र.5721) दि. 25.03.2003	सतना जिले के नागौद कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष द्वारा अनियमित कार्य करने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई।	परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।	श्री यादवेन्द्र सिंह अध्यक्ष मंडी समिति नागौद को कार्यालयीन पत्र दिनांक 31.05.01 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 21.11.01 द्वारा आदेश पारित किये गये कि राशि रूपये 66,298/- मंडी निधि में जमा कराई जाये जिसके फलस्वरूप श्री यादवेन्द्र द्वारा दिनांक 31.03.02 से रूपये 36,298/- दिनांक 29.07.02 से राशि रू. 11,000/- एवं दिनांक 22.03.03 से राशि रू. 19,000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 66,298/- मंडी निधि में जमा की गई। विधान सभा प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि दूरभाष पर पात्रता से अधिक राशि व्यय की गई राशि रू. 33,609/- दर्शाई गई है जो मंडी समिति के लेखापाल एवं सचिव के त्रुटिवश अंकित की गई जिसके लिये कार्यालयीन पत्र दिनांक 11.08.03 से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जो उन्होने अपने पत्र दिनांक 18.09.03 द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिये क्षमा याचना की गई। अध्यक्ष मंडी समिति द्वारा अपने निवास पर पात्रता से अधिक राशि रू. 12,012/- व्यय की गई थी, जो दिनांक 30.03.03 द्वारा मंडी निधि में जमा करा दी गई है तथा कार्यालय दूरभाष पर पात्रता से अधिक व्यय की गई राशि 12,170/- एवं वाहन मरम्मत पर पात्रता से अधिक राशि रू. 84,162/- जमा नहीं कराने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-3/4/ वि.स./5721/ अतारांकित/93 दिनांक 09.02.05 द्वारा म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा-58 के अंतर्गत वसूली के आदेश जारी किये गये है। जिसके फलस्वरूप रसीद बुक क्रमांक 1328/43 दिनांक 03.11.08 द्वारा दूरभाष पर अधिक व्यय राशि रू. 12,170/- एवं वाहन मरम्मत पर अधिक व्यय राशि रू. 84,162/- मंडी निधि में जमा कराई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/83/2003/14-3, दिनांक 04.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
आयुष विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
66.	435	अता.प्र.सं.25 (क्र.1015) दि. 17.02.2003	धोखाधड़ी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले होम्यो चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध लंबित जांच को पूर्ण कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।	संचालनालय आदेश क्रमांक 1/वि.जा./965, दिनांक 26.11.05 द्वारा धोखाधड़ी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले होम्यो चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव को विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर सेवा से निष्कासित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध डॉ. श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत याचिका क्र. 9150/2006 पर मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 18.03.2010 से इन्हें दोबारा सेवा में बहाल करने बाबत् पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 01-17/2010/1/उनसठ, दि.27.08.2010 से शासकीय सेवा में पुन: बहाल किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 6-40/2013/1/59, दिनांक 27.07.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
67.	443	अता.प्र.सं.27 (क्र.1504) दि. 24.02.2003	जिला बालाघाट अंतर्गत आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की अवधि।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	संचालनालय के पत्र क्र./2/स्था./2014/3952 दिनांक 09.06.14 द्वारा अवगत कराया है कि चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मांगपत्र लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किये गये हैं। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पैरामेडिकल पदों की पूर्ति व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाकर परिणाम घोषित किया गया। चयनित उम्मीदवारों के अभिलेखों का परीक्षण किया जा चुका है। पदों की पूर्ति सतत प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ/6-5/14/1/59, दिनांक 25.06.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.	444	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.2662) दि. 03.03.2003	शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भोपाल के आर.एम.ओ. द्वारा बिना अनुमति के कार्य कराये जाने की जांच तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई ।	जांच की कार्रवाई की जा रही है।	संचालनालय के आदेश क्रमांक 1/विजा/शिका/सीआर/14/ 1168-72 दिनांक 20.06.14 से डॉ.विजय माथुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 अंतर्गत लघु शास्ति परिनिंदा से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-39/13/1/59, दिनांक 08.08.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
69.	441	अता.प्र.सं.72 (क्र.2513) दि. 24.02.2003	क्रमांक 3115, दि.27.11.2002 के प्रश्न के अनुक्रम में क्या शासन की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने वाले अधिकारी एवं अस्पताल अधीक्षक के विरूद्ध कार्रवाई संबंधी जानकारी दिए जाने की अवधि।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	डॉ. प्रशांत कुमार को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 तथा आचरण नियम 1995 के नियम 3(1)(2) के तहत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा आदेश क्रमांक 4/शिकायत/सेल-5/ 2005/1653, दिनांक 20.04.2005 के द्वारा एक वेतनवृद्धि रोकते हुए दण्डादेश जारी किए गए। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 10-17/2003/1/55, दिनांक 11.12.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	467	अता.प्र.सं.18 (क्र.931) दि. 18.02.2003	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री फतेह चन्द्र जाटव की अनियमितताओं की विभागीय जांच।	विभागीय जांच करने की कार्रवाई प्रचलित है।	श्री फतेह चन्द्र जाटव, को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया , उत्तर संतोषप्रद पाये जाने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय आदेश दिनांक 21.11.05 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1356/1471/2009/बीस-4, दि. 23.09.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71.	468	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.1312) दि. 18.02.2003	जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के विरूद्ध अवैध एवं भ्रष्ट कार्यों की जांच एवं कार्रवाई ।	परीक्षणोपरांत तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	श्री ए.के. शर्मा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दतिया की सेवायें उनके मूल विभाग (उच्च शिक्षा) को वापिस हो चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 558/244/2014/20-4, दिनांक 13.05.2014** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21710/वि.स./आश्वा./2014, दि 19.11.2014 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***डॉ. ए.के. शर्मा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, दतिया के विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा दि. 19.01.10 को नोटिस एवं जांच प्रतिवेदन आपकी ओर कार्रवाई हेतु प्रेषित किए गए थे, प्रकरण में डॉ. ए.के. शर्मा के विरूद्ध आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसकी अद्यतन स्थिति ।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी उत्तर अप्राप्त है ।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
72.	477	ता.प्र.सं.04 (क्र.1215) दि. 22.02.2003	1. जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा ट्रांसफर संबंधी प्रकरणों में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच । 2. बिना जिला बोर्ड को अनुमति के हुए स्थानांतरों को निरस्त करने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई ।	1. स्थानांतरण निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी । 2. उसकी जांच करवा लेंगे । 3. अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	बिना स्थानांतरण बोर्ड के अनुमोदन के जारी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन जिला स्थानांतरण बोर्ड मा.प्रभारी मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है । आदेश वैधानिक होने के कारण आदेश निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 109/20/20-1, दिनांक 17.04.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
73.	501	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.4766) दि. 11.03.2003	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गाव (धसान) जिला टीकमगढ़ का नाम परिवर्तन किए जाने की अवधि ।	जी हां । नाम परिवर्तन कार्रवाई प्रचलित है ।	आदेश क्रमांक एफ 44-92/2003/20-2, दि. 07.02.11 द्वारा नाम परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 30-103/2003/बीस-3, दिनांक 21.03.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74.	537	अता.प्र.सं.49 (क्र.2105) दि. 25.02.2003	राज्य विद्युत मण्डल के पूर्वी क्षेत्र वितरण कंपनी के सी.एम.डी. द्वारा राजस्व को क्षति करने वाले संचारण एवं संधारण संभाग सतना के दोषी कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध कार्रवाई।	जांचोपरांत जांच के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।	प्रकरणों में विभागीय जांच की गई है। बिन्दुवार जांच निष्कर्ष निम्नानुसार है :- 1. ग्राम नैना में आवासीय कालोनी के विद्युतीकरण का कार्य जांचोपरांत नियमानुसार किया जाना पाया गया है। 2. विभागीय जांच में श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ यंत्री को दोषी पाया गया तथा उनकी आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश क्र. 053-95/07/496, दिनांक 24.01.05 पारित कर दण्डित किया गया। 3. प्रकरण में उल्लेखित खोखर आयल मिल के पीछे स्थित निम्नदाब लाईन में कोई कार्य नहीं कराया गया है अत: किसी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 4. ग्राम पोइधा एवं सकरिया में बिना सक्षम स्वीकृति के ट्रांसफार्मर एवं लाईन के कार्य नियम प्रतिकूल से किये जाने पर प्रकरण में दोषी पाये गये श्री जी.पी. सिंह तत्कालीन सहायक यंत्री कोलगवां एवं श्री आर.के. श्रीवास्तव, कनिष्ठ यंत्री को आदेश क्र. क्रमश: 053-01/05/10554, दिनांक 16.10.04 एवं 128-29, दि. 16.04.03 द्वारा चेतावनी दी गई है। 5. जैतवारा वितरण केन्द्र में अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने हेतु उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर श्री रामभगवान त्रिपाठी, हेल्पर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई तथा दोषी पाये जाने पर आदेश क्र. 459, दिनांक 31.12.03 द्वारा उक्त कर्मचारी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। 6. प्रकरण में उल्लेखित क्षेत्रों में अस्थायी कनेक्शनों की जांच हेतु किराये पर वाहन लगाये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में दिये गये कनेक्शनों एवं उनसे प्राप्त राशि विगत वर्षों के लगभग बराबर/अधिक पाई गई अत: किसी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/302/03/13, दिनांक 12.11.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	559	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.103) दि. 14.02.2003	भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से जहरीले रासायनिक कचरों का हटाया जाना।	जब राशि मिल जायेगी तब काम शुरू हो जायेगा। 1.अवशिष्ट पदार्थों के विनष्टीकरण एवं परिसर शुद्धिकरण के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल ने अब तक क्या कार्रवाई की । 2.यह कार्य समय सीमा में पूर्ण हो जाये इस हेतु राज्य ने अब तक क्या कार्रवाई की। 3. मामले की अद्यतन स्थिति।	1. केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल से संबंधित। 2. दुर्घटना के समय यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रासायनिक अवशिष्ट बचा था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर स्थित अवशिष्ट पदार्थों में से लाईम स्लज जो लगभग 34 मैट्रिक टन था का लैण्डफिल साईट पीथमपुर जिला धार मध्यप्रदेश में जून 2008 में डिस्पोज ऑफ किया गया। शेष अवशिष्ट पदार्थों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई विभाग द्वारा की जावेगी इस संबंध में भी प्रकरण प्रचलित है व उनके आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित परिसंकटमय अवशिष्टों के परिवहन हेतु प्रकाशित गाईड लाईन (HSZWAMS/ 33/2005-2006) के अनुसार अधिष्ठाता (Occupier) द्वारा परिसंकटमय अवशिष्टों के कंटेनर पार्किंग तथा परिवहन संबंधी दिये गये बिन्दुओं का पालन किया गया है। वर्तमान में अभी शेष बचे अवशिष्ट निपटान के लिये बचा हैं और उसमें कार्रवाई की जा रहीं है। 3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण में निर्णय 10 टन रासायनिक कचरे का परीक्षण कर उसके विषैलेपन के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु केन्द्र शासन को आदेशित किया गया था इसके सफल रहने पर माननीय उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिया था।	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					इस आदेश के विरूद्ध केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर पीथमपुर स्थित सुविधा में यह परीक्षण करने के आदेश प्राप्त किये गये थे जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में आवेदन देकर यह बताया कि पीथमपुर स्थित सुविधा में अभी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है व अन्य विकल्प भी मंत्री समूह के समक्ष उपलब्ध हैं जिस पर उच्चतम न्यायालय ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करने के आदेश दिये। मंत्री समूह के निर्णय अनुसार जी.आई.जेड से प्रस्ताव प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया था केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव एवं उस पर अंकलित व्यय की स्वीकृति दी गयी थी। भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा अनुबंध प्रारूप स्वीकृत किये जाने के पश्चात जर्मन कंपनी जी.आई.जेड.आई.एस. ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन के लिये दिनांक 18.09.2012 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें भारत सरकार के सचिव सलाहकार समिति मॉनिटरिंग समिति व राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल को अन्य विकल्प तलाशने को कहा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-8/2003/47, दिनांक 05.11.2012**	

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 24 विभागों के 75 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में समिति द्वारा किये गये परीक्षण में यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 13 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 06 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 11 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई । इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग का 01 तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 04 मामले ऐसे भी हैं, जिनमें विभागों द्वारा प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है । समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं । जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी । मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है । फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है । मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है ।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है । समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है । समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है ।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है । इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते । इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है ।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके ।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों ।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	88
आश्वासन क्रमांक	93

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	138
आश्वासन क्रमांक	155
आश्वासन क्रमांक	166

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	221
आश्वासन क्रमांक	250
आश्वासन क्रमांक	252

लोक निर्माण विभाग

आश्वासन क्रमांक	303

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	352

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	468

परिशिष्ट - 3

फरवरी-मार्च 2003, सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	जल संसाधन	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	02	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	03	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	04	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	06	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	07	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	08	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	09	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	10	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	11	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	12	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	14	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	15	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	16	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	18	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	19	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	20	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	22	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	24	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	25	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	26	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	27	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	28	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	29	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	30	नर्मदा घाटी विकास	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	31	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	32	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	33	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	34	वन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	35	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	36	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	37	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	39	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	40	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	41	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	42	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	43	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	44	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	45	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	46	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	47	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	48	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	49	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	50	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	51	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	52	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	54	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	55	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

49.	56	वन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	57	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	58	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	59	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	60	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	61	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	62	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	63	परिवहन	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	64	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	65	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	66	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	67	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	70	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	73	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	74	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	75	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	78	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	79	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	80	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	81	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	82	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	85	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	86	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	87	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	89	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	90	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	91	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	92	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	94	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	95	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	99	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	101	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	103	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	104	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	107	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	108	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	109	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	110	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	111	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	112	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	113	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	114	ग्रामोद्योग	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	116	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	117	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	118	मछली पालन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	119	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	121	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	123	पशुपालन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	124	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	125	महिला एवं बाल विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	126	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	127	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	129	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	130	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

103.	131	महिला एवं बाल विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	132	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	133	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	134	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	135	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	136	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	137	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	139	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	140	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	141	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	142	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	144	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	145	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	146	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	147	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	148	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	149	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	150	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	151	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	152	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	153	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	154	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	156	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	158	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	160	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	161	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	162	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	163	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	164	पर्यटन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	165	संस्कृति	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	167	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	168	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	169	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	170	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	171	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	172	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	173	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	174	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	175	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	176	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	177	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	178	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	179	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	180	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	181	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	182	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	183	समाज कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	184		पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	185	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	186	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	187	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	188	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	189	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	190	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

157.	192	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	193	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	194	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	195	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	196	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	197	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	198	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	199	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	200	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	202	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	203	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	204	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	205	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	206	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	207	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	208	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
173.	209	नगरीय प्रशासन एवं विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	210	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	211	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	212	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	213	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	214	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	215	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	216	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	217	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	218	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	219	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	220	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	223	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	224	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	225	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	226	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	227	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	228	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	229	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	230	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	232	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	233	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	235	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	236	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
197.	237	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
198.	238	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	239	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	240	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	244	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	245	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	246	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	247	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	251	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	253	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	254	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	255	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
209.	256	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	257	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

211.	258	नगरीय प्रशासन एवं विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
212.	261	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	262	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	263	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	264	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	265	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	266	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	267	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	269	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	270	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	271	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	272	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	273	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	274	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	275	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	276	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	277	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	278	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	279	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	280	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
231.	281	लोक निर्माण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	282	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
233.	283	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	284	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
235.	285	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	286	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	288	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	289	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
239.	290	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	291	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
241.	292	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	293	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
243.	294	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
244.	295	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	296	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	297	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	298	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	299	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	300	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	301	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	302	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	304	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	305	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	306	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	307	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	308	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
257.	309	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	310	गृह	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	311	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	312	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	313	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	314	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	315	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	316	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

265.	317	गृह	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
266.	318	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	319	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
268.	320	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	321	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
270.	322	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	323	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	324	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	325	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	326	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
275.	327	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
276.	328	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
277.	329	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
278.	330	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	331	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
280.	332	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	333	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
282.	334	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	335	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
284.	336	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	337	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
286.	339	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
287.	340	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
288.	341	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	342	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
290.	343	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	344	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
292.	345	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
293.	346	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
294.	347	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	348	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
296.	349	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
297.	350	सहकारिता	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
298.	351	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
299.	353	सामान्य प्रशासन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
300.	354	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
301.	355	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
302.	356	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
303.	357	विधि एवं विधायी	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
304.	358	आवास एवं पर्यावरण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
305.	359	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
306.	360	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
307.	361	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
308.	362	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
309.	363	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
310.	364	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
311.	366	खनिज साधन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
312.	367	श्रम	विलोपित	
313.	368	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
314.	369	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
315.	562	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
316.	370	धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
317.	371	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
318.	372	जनशिकायत निवारण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

319.	373	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
320.	374	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
321.	375	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
322.	376	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
323.	377	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
324.	378	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
325.	379	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
326.	380	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
327.	382	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
328.	383	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
329.	384	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
330.	385	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
331.	386	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
332.	387	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
333.	388	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
334.	389	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
335.	391	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
336.	392	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
337.	393	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
338.	394	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	395	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
340.	397	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
341.	399	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
342.	403	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	404	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
344.	405	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
345.	406	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
346.	407	आदिम जाति	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
347.	408	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
348.	409	कृषि	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
349.	410	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
350.	411	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
351.	412	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
352.	413	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
353.	414	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
354.	415	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
355.	416	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
356.	417	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
357.	418	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	419	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
359.	420	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
360.	421	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
361.	422	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
362.	425	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
363.	426	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
364.	427	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
365.	428	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
366.	431	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
367.	432	चिकित्सा शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
368.	433	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
369.	434	आयुष	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
370.	436	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
371.	437	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
372.	438	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

373.	439	आयुष	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
374.	440	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
375.	442	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
376.	445	चिकित्सा शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
377.	446	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
378.	447	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
379.	448	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
380.	449	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
381.	450	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
382.	451	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
383.	452	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
384.	453	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
385.	454	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
386.	455	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
387.	456	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
388.	457	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
389.	458	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
390.	459	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
391.	460	खेल एवं युवक कल्याण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
392.	461	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
393.	462	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
394.	463	वित्त	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
395.	464	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
396.	465	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
397.	466	स्कूल शिक्षा	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
398.	469	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
399.	470	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
400.	471	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
401.	472	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
402.	473	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
403.	474	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
404.	475	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
405.	476	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
406.	478	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
407.	479	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
408.	480	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
409.	481	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
410.	482	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
411.	483	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
412.	484	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
413.	485	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
414.	486	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
415.	487	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
416.	488	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
417.	489	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
418.	490	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
419.	491	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
420.	492	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
421.	493	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
422.	494	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
423.	495	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
424.	496	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
425.	497	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

426.	498	स्कूल शिक्षा	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
427.	499	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
428.	500	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
429.	502	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
430.	503	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
431.	504	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
432.	505	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
433.	506	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
434.	507	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
435.	508	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
436.	509	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
437.	510	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
438.	511	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
439.	512	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
440.	513	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
441.	514	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
442.	515	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
443.	516	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
444.	517	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
445.	518	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
446.	519	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधान सभा
447.	520	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
448.	521	उच्च शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
449.	522	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
450.	523	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
451.	524	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
452.	525	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
453.	526	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
454.	527	ऊर्जा	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
455.	528	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
456.	529	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
457.	530	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
458.	531	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
459.	532	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
460.	533	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
461.	534	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
462.	535	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
463.	536	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
464.	538	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
465.	539	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
466.	540	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
467.	541	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
468.	542	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
469.	543	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
470.	544	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
471.	545	"	दशम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
472.	546	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
473.	547	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
474.	548	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
475.	549	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
476.	550	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
477.	551	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
478.	552	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
479.	553	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

480.	554	ऊर्जा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
481.	555	वाणिज्यिक कर	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
482.	556	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
483.	557	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
484.	558	जेल	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
485.	560	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
486.	561	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा